

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी हमीरगढ  
पीठारीन अधिकारी श्री अजीत सिंह राठौड (आर.ए.एस)

प्रकरण संख्या 158/2022

उत्तमान

1. कालू लाल पुत्र श्री लक्ष्मण अहीर नि० तखतपुरा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
2. उदय लाल पुत्र श्री माना अहीर नि० तखतपुरा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
3. तुलसीराम पुत्र श्री माना अहीर नि० तखतपुरा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
4. रतन लाल पुत्र श्री माना अहीर नि० तखतपुरा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—प्रार्थीगण

वनाम

1. श्री अण्ण्णी पुत्री कमली पिता श्रीकिशन अहीर पत्नि श्री दिनेश अहीर नि० चन्दनपुरा तह० राशमी जिला चित्तौडगढ।
2. उदी पुत्री श्री किशन अहीर पत्नि श्री मोहन अहीर नि. गुरजनिया तह. गंगरार जिला चित्तौडगढ।
3. कन्हैया लाल माता कमली पिता श्रीकिशन अहीर पिता श्री उंकार लाल अहीर नि० गुरजनिया गंगरार जिला चित्तौडगढ।
4. काली माता कमली पिता श्री किशन अहीर पिता श्री उंकार लाल पत्नी श्री रतन लाल अहीर नि० मुरोली तह० राशमी जिला चित्तौडगढ।
5. चतरु लाल माता कमली पिता श्रीकिशन अहीर पिता श्री उंकार लाल नि० गुरजनिया गंगरार जिला चित्तौडगढ।
6. तुलसीराम पुत्र कमली पिता श्री किशन अहीर पिता उंकार नि० गुरजनिया गंगरार जिला चित्तौडगढ।
7. नारायण पुत्र श्री किशन अहीर नि० तखतपुरा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
8. गेरू पुत्र श्री किशन अहीर नि० तखतपुरा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
9. मीना पुत्री श्री मांगी लाल अहीर नि० तखतपुरा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
10. मोहन पुत्र श्री किशन अहीर नि० तखतपुरा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
11. रामेश्वर पुत्र श्री किशन अहीर नि० तखतपुरा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
12. रागी पुत्री श्री कमली पिता श्री किशन अहीर पत्नी श्री सीताराम अहीर नि. अहीरीया खेडा, देवीपुरा तह. राशमी जिला चित्तौडगढ।
13. रोशान पुत्री कमली पिता श्रीकिशन अहीर पत्नि श्री शंकर लाल अहीर नि. सगतपुरिया तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
14. लक्ष्मण पुत्र मांगी लाल अहीर नि० तखतपुरा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
15. शंकर लाल पुत्र श्रीकिशन अहीर नि० तखतपुरा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
16. श्यामू देवी पत्नी श्री मांगी अहीर नि० तखतपुरा तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा।
17. शांति पुत्री श्री कमली पिता श्रीकिशन अहीर पत्नी श्री लेहरू लाल अहीर नि. सगतपुरिया तह. हमीरगढ।
18. राधेश्याम पुत्र रामपाल वल्दवा नि० भदादा वाग के सामने भोपलागंज भीलवाडा तह. एवं जिला भीलवाडा(राज)
19. राजरथान राज्य जरिये तहसीलदार हमीरगढ जिला भीलवाडा।

—अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956  
निर्णय दिनांक 16.05.2023

प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस कार्यालय में दिनांक 23.12.2022 को प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि ग्राम तखतपुरा प.ह. तखतपुरा भू.अ.नि. हमीरगढ तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा में खाता संख्या 22 की आ.न. 977 रकबा 1.8715 है०, भूमि स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण पडोसी हैं प्रार्थी एवं विपक्षीगण के मध्य प्रश्नगत आराजी के सीमा चिन्ह नही होने से आये दिन सीमा संबंधी विवाद उत्पन्न होता रहा है। इसलिए प्रार्थी अपने खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराना चाहता है। आवेदन स्वीकार किया जाकर पत्थरगढी के आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 23.12.2022 को पंजीवद्ध किया गया। प्रार्थी के अधिवक्ता उपस्थित। विपक्षी संख्या 01 लगायत 18 वावजूद विधिवत प्रकियानुसार सुनवाई का अवसर देने के उपरान्त उपस्थित नही है। अतः न्यायहित में एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर प्रार्थी/प्रार्थी अधिवक्ता को सुना गया। प्रस्तुत वहस पर मनन किया गया तथा पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड का ध्यापूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण के

अवलोकन से यह तथ्य है कि प्रार्थी स्वयं के खाते की खातेदारी कृषि भूमि की पत्थरगढी कराने का अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकार अभिलेख में किसी प्रकार के हेराफेरी होने का कोई अंदेशा नहीं है तथा न ही किसी प्रकार अधिकार/स्वत्व निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों को देखते हुए नैसर्गिक न्याय के सिद्धान्त के आधार पर आवेदन प्रार्थी स्वीकार योग्य है।

--:आदेश:--

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार हमीरगढ को आदेश दिये जाते हैं कि ग्राम तख्तपुरा प.ह. तख्तपुरा भू.अ.नि. हमीरगढ तह. हमीरगढ जिला भीलवाडा में खाता संख्या 22 की आ.न. 977 रकवा 1.8715 है, भूमि स्थित है। जिसकी पत्थरगढी राजस्थान लैंड रेकार्ड नियम 1956 के प्रावधानों में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की जावे तथा नियमानुसार निर्धारित शुल्क 800/- पक्षकार प्रार्थी राजकोष में जमा कराये, साथ ही कमिश्नर फीस 500/- रु० की नियमानुसार अदायगी प्रार्थी पक्षकार निर्धारित कमिश्नर को भुगतान करें।

आदेश आज दिनांक 16.05.2023 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर लिखा गया। प्रकरण फ़ैसल शुमार होकर दाखिल दपतर रहे।

  
(अजीत सिंह राठौड)  
उपखण्ड अधिकारी  
हमीरगढ